दिनांक 09.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 368/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की वाराणसी तथा गोण्डा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 09.07.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की वाराणसी तथा गोण्डा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई द्वारा गोविन्द सिंह निवासी ग्राम ककराही थाना मड़ियाहूँ जनपद जौनपुर से मुकदमें में नाम बढ़ाने के एवज और न देने पर मुकदमा कमजोर कर देने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री मैनेजर सिंह के नेतृत्व में मौर्या टी स्टाल से **उ0नि0 रामाश्रय प्रजापति (थाना मडियाहूँ जनपद जौनपुर)** निवासी ग्राम फेफना जनपद बलिया को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोण्डा इकाई द्वारा अजय कुमार निवासी बंदरहा शिवाजीपुरम थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती से बीज की दुकान का लाइसेंस बनवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कक्ष-12, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी जनपद श्रावस्ती से **कनिष्ठ लिपिक युगुल किशोर अवस्थी (कार्यालय जिला कृषि अधिकारी श्रावस्ती)** निवासी ग्राम व पोस्ट सहसा थाना जनपद बहराइच को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 09.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 369/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहगढ़/थाना को0 फतेहगढ़

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमती की चोरी के पीली धातु के आभूषण बरामद**

दिनांक 08.07.2026 को थाना को0 फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त निकित को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमती की चोरी के पीली धातु के आभूषण बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.07.2026 को थाना को0 फतेहगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना को0 फतेहगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना को0 फतेहगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध मे थाना को0 फतेहगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—निकित निवासी ग्वालटोली थाना को0 फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1—लगभग 15 लाख रूपये कीमती की चोरी के पीली धातु के आभूषण।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना नरसेना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना नरसेना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आमिर 2–आसिफ 3–आरिफ को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना निवाड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना निवाड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुमित उर्फ बब्लू को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर–63 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धंनजय को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बडौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व

5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शामली/थाना जीआरपी शामली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना जीआरपी शामली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–इरफान 2–समीर उर्फ पहलवान को 10–10 वर्ष के कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––